FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2024

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0311 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 27/12/2024 17:22 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** मंगलवार **Date From (दिनांक से):** 22/10/2024 **Date To (दिनांक तक):** 22/10/2024

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 08:07 बजे **Time To (समय तक):** 16:00 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 27/12/2024 **Time (समय):** 13:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 002 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 27/12/2024 17:22:58 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** NORTH-EAST, 50 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b)**Address(पता):** PARISAR GRAM PANCHAYAT GUDHA SADAVARTIYA, PANCHAYAT SAMITI NAINVAN, DISTRICT BUNDI

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**
   (a) **Name(नाम):** SITARAM DHAKAR
   (b) **Father's Name (पिता का नाम):** CHHOTULAL DHAKAR
   (c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1992 (d)**Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA
   (e) **UID No(यूआईडी सं.):**
   (f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
   Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**
   (g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

   (h) **Occupation (व्यवसाय):**
   (i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	**Address Type (पता का प्रकार)**	**Address (पता)**
1	वर्तमान पता	DOKUN, DEI, BUNDI, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	DOKUN, DEI, BUNDI, RAJASTHAN, INDIA

   (j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** [redacted]

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**
   Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	**Name (नाम)**	**Alias (उपनाम)**	**Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)**	**Address (पता)**
1	DAYANAND JAKHAR		पिता:RAMCHANDER JHAKAR	1. GRAM CHAUHANO KI DHANI,POST ADUKA TAHASIL SURAJGARH,BUNDI,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**
9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	**Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)**	**Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)**	**Description (विवरण)**	**Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))**
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		25,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-) (चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)):** 25,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary) (प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):**

महोदय, निवेदन है कि दिनांक 22.10.2024 समय 08.07 ए.एम पर परिवादी श्री सीताराम पुत्र छोटुलाल जाति धाकड निवासी डोकून थाना देई जिला बून्दी द्वारा चौकी हाजा पर जरिये मोबाइल सम्पर्क कर स्वंय के पूर्ण नाम पता से अवगत कराने के उपरान्त अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सूचना दी कि मैं धाकड कन्सट्रक्शन फर्म के नाम से पचांयत समिति नैंनवा जिला बून्दी मे ठेकेदारी का काम करता हूं, मेरी फर्म द्वारा ग्राम पंचायत गुढा सदावर्तिया पचांयत समिति नैंनवा जिला बून्दी मे पिछले दो वर्षो में करीब 20-22 लाख रूपये का कार्य करवाया गया है। उक्त कार्य के बिलों के भुगतान की एवज में ग्राम विकास अधिकारी दयानंद जाखड़ रिश्वत की मांग कर रहा हैं, मै अभी बून्दी आकर शिकायत पेश करने मे असमर्थ हूं। कृपया कार्यवाही करें। परिवादी द्वारा दी गई सूचना से कानि0 रामसिंह को अवगत कराया जाकर कार्यालय के मालखाने से डिजिटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड निकलवाकर सुपुर्द कर परिवादी सीताराम से जरिये मोबाईल सम्पर्क कर रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाने हेतु मोटर साईकिल से गुढा सदावर्तियाः के लिए रवाना किया गया। श्री रामसिंह कानि. 78 मय डिजिटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड के चौकी हाजा उपस्थित आया तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को परिवादी सीताराम एवं सह परिवादी श्री भंवर लाल द्वारा प्रस्तुत शिकायत प्रार्थना पत्र मय डिजिटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड पेश कर अवगत कराया कि " मैने निर्देशानुसार परिवादी के मोबाईल नं. पर सम्पर्क किया एवं परिवादी से हुई वार्ता के अनुसार गांव गुढा सदावर्तिया पहुचा। जहाँ पर परिवादी सीताराम एंव उसका साथी भंवरलाल उपस्थित मिला। जहां पर परिवादी सीताराम पुत्र छोटुलाल जाति धाकड निवासी डोकून थाना देई जिला बून्दी द्वारा ग्राम पंचायत गुढा सदावर्तिया मे कराये गये निर्माण एंव अन्य कार्यो के बिलों के भुगतान की एवज में ग्राम पंचायत गुढा सदावर्तिया के ग्राम विकास अधिकारी दयानंद जाखड के द्वारा रिश्वत मांगने के संबंध में शिकायत प्रार्थना पत्र पेश किया तथा मौखिक रूप से अवगत कराया कि ग्राम विकास अधिकारी दयानंद जाखड से मेरी आपसी कहासुनी हो गयी है इसलिये वह मेरे से सीधी रिश्वत की मांग नही करके मेरे साथी एंव ग्राम पंचायत के सरपंच भंवरलाल से रिश्वत की बातचीत करता है। तत्पश्चात निर्देशानुसार मेरे द्वारा परिवादी के साथी से नाम पता पूछा तो उसने स्वंय का नाम भंवरलाल पुत्र श्री कल्याण जाति मीणा उम्र 32 साल निवासी गांव गुढा सदावर्तियास थाना देई जिला बून्दी हाल सरपंच ग्राम पंचायत गुढा सदावर्तिया का होना बताया। इसके बाद निर्देशानुसार मेरे द्वारा सहपरिवादी श्री भवंरलाल को डिजिटल वाईस रिकार्डर चालू बंद करने की विधि समझाकर मय मैमोरी कार्ड चालू एवं सुपुर्द कर रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता हेतु ग्राम विकास अधिकारी के पास ग्राम पंचायत गुढा सदावर्तिया रवाना किया। मैं वहाँ से थोडी दूरी पर गोपनीयता रखते हुये मुकीम रहा। करीब 10 मिनट बाद सहपरिवादी भवंरलाल मेरे पास आया और डिजिटल वॉइस रिकार्डर मन कानि0 को पेश कर बताया कि मेरी ग्राम विकास अधिकारी दयानंद जाखड से वार्ता हो गई है। उसने परिवादी सीताराम के बिलों का भुगतान करने की एवज में 25,000 रूपये रिश्वत की मांग की है। हम दोनों के मध्य जो भी वार्ता हुई है वह डिजिटल वॉइस रिकार्डर के मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड हैं। कानि0 द्वारा डिजिटल वॉइस रिकार्डर में रिकार्ड वार्ता को चलाकर सुना गया तो वार्ता का रिकार्ड होना पाया गया। डिजिटल वॉइस रिकार्डर को मन कानि0 द्वारा सुरक्षित रखा गया। इसके बाद परिवादी ने बताया कि मैं रिश्वत राशि की व्यवस्था करके एसीबी चौकी बून्दी पर उपस्थित हो जाउंगा। इस पर परिवादी सीताराम एंव सहपरिवादी भंवरलाल को मौके पर छोडकर वहां से रवाना होकर चौकी हाजा पर आया। डॉ0 प्रेरणा षेखावत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी सीताराम एवं सहपरिवादी भंवरलाल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया एंव डिजिटल वॉइस रिकार्डर मे रिकार्ड वार्ता को सुना गया। रिकार्ड वार्ता के अनुसार रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन होना पाया गया है। अतः परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय डीवीआर के अग्रिम कार्यवाही हेतु मन् हरीश भारती उप अधीक्षक पुलिस को सुपुर्द किया गया। परिवादी श्री सीताराम पुत्र छोटुलाल जाति धाकड निवासी डोकून थाना देई जिला बून्दी द्वारा प्रस्तुत शिकायत प्रार्थना पत्र मय डीवीआर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदया द्वारा मन उप अधीक्षक पुलिस को सुपुर्द कर अग्रिम कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है। मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का अवलोकन किया एंव डीवीआर के मैमोरी कार्ड में रिकार्ड वार्ता को सुना गया तो वार्ता अनुसार आरोपी द्वारा परिवादी के बिलों के भुगतान करने की एवज में 25,000 रूपये रिश्वत मांग करने की पुष्टि होना पाया गया है। डीवीआर को सुरक्षित रखा गया। चूंकि रिकार्ड वार्ता अनुसार ट्रेप कार्यवाही अविलम्ब किया जाना प्रस्तावित होने से इस हेतु ट्रेप कार्यवाही के लिये दो स्वतंत्र गवाहान की तलबी हेतु

कार्यालय खनि अभियंता बून्दी खण्ड प्रथम खान एंव भू विज्ञान विभाग बूंदी के नाम तहरीर जारी कर गवाह लाने के लिये मनोज कानि0 452 को रवाना किया गया। तत्पश्चात मनोज कानि0 452 कार्यालय खनि अभियंता बून्दी खण्ड प्रथम खान एंव भू विज्ञान विभाग बूंदी से दो स्वतंत्र गवाह लेकर ब्यूरो कार्यालय आया। दोनों स्वतंत्र गवाहान से नाम पते पूछे गये तो एक ने अपना नाम पता श्री सुधांशु उपाध्याय पुत्र श्री कर्मनाथ उम्र 36 साल जाति ब्राहम्ण निवासी जबलपुर मध्य प्रदेश हाल खनि कार्यदेशक कार्यालय खनि अभियंता खण्ड प्रथम, खान एंव भू विज्ञान विभाग बून्दी एंव श्री राकेश मीणा पुत्र श्री रामचन्द्र मीणा उम्र 30 साल निवासी सी ब्लॉक सिद्धार्थ नगर जगतपुरा थाना एयरपोर्ट जयपुर हाल वरिष्ठ सहायक कार्यालय खनि अभियंता खण्ड प्रथम, खान एंव भू विज्ञान विभाग बून्दी होना बताया। दोनो स्वतंत्र गवाहान को कार्यालय में मुकीम रहने के निर्देश दिये। तत्पश्चात परिवादी श्री सीताराम पुत्र छोटुलाल जाति धाकड निवासी डोकून थाना देई जिला बून्दी चौकी हाजा उपस्थित आया। परिवादी से मन पुलिस उप अधीक्षक द्वारा पूछताछ करने पर परिवादी ने उक्त प्रार्थना पत्र स्वंय द्वारा हस्तलिखित होना बताया तथा आज दिनांक 22.10.2024 को कानि0 रामसिंह को पेश करना स्वीकार किया । प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के संबंध में परिवादी ने बताया कि प्रार्थी गांव डोकून थाना देई जिला बून्दी का निवासी है तथा वर्श 2017 से पंचायत समिति नैंनवा के अन्तर्गत ठेकेदारी का काम कर रहा हूं। प्रार्थी की फर्म का नाम धाकड़ कन्सट्रक्शन है तथा प्रार्थी स्वंय इस फर्म का मालिक है। मैंने पिछले दो वर्शो से ग्राम पंचायत गुढा सदावर्तिया पंचायत समिति नैंनवा जिला बून्दी में मेटेरियल सप्लाई एंव लेबर सप्लाई का कार्य किया है, उक्त कार्य मैंने ग्राम पंचायत गुढा सदावर्तिया के अन्तर्गत आने वाले गांव जीवनपुरा, कालामाल, बिजन्था, देवपुरा, दिया का झोपडा में किया है। मैंने इन गांवों में नाडे, मेजिक सोफिट, लेबर सप्लाई, सीसी रोड़ निर्माण, ,खेल मैदान का संधारण आदि के रूप में किया हैं। उक्त कार्य के करीब 20-22 लाख रूपये के बिल मैंने ग्राम पंचायत गुढा सदावर्तिया के ग्राम विकास अधिकारी दयानंद जाखड को पेश कर दिये, परन्तु ग्राम विकास अधिकारी द्वारा मेरे से प्रत्येक कार्य के बिलों को पास करने की एवज में रिश्वत की मांग की गई। मैंने रिश्वत देने से मना किया तो दयानंद जाखड द्वारा मेरे बातचीत करना बंद कर दिया। ग्राम पंचायत के सरपंच भंवरलाल मीणा द्वारा भी दयानंद जाखड ग्राम विकास अधिकारी से मेरे बकाया बिलों को पास करने के लिये कहा तो दयानंद जाखड द्वारा सरपंच से भी मेरे बिल पास करने की एवज में 25,000/रूपये रिश्वत की मांग की गई। ग्राम विकास अधिकारी प्रत्येक बिल पास करने के लिये हर बार अलग रिश्वत की मांग करता है। मै अपने जायज काम के लिये श्री दयानंद जाखड ग्राम विकास अधिकारी को रिश्वत नही देना चाहता हूं परिवादी ने साथ ही अवगत कराया कि मेरी दयानंद जाखड ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत गुढा सदावर्तिया से बिलों के भुगतान में रिश्वत मांगने पर आपसी कहासुनी हो गई है इसलिये वह मेरे से रिश्वत की सीधी बात नही करता है तथा मेरे मित्र एंव ग्राम पंचायत गुढा सदावर्तिया के सरपंच भंवरलाल से मेरे बिलों के भुगतान करने की एवज में रिश्वत की मांग करता हैं। दिनांक 22.10.2024 को रिश्वत मांग के सत्यापन के दौरान भी ग्राम विकास अधिकारी ने मेरे मित्र भवंरलाल से ही 25,000 रूपये रिश्वत की मांग के संबधं में बातचीत की हैं। इसके बाद कार्यालय में उपस्थित दोनों स्वतंत्र गवाहान का परिचय परिवादी सीताराम से करवाया गया एंव परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दोनों गवाहों को पढ़कर सुनाया गया एवं प्रस्तावित ट्रेप कार्यवाही में दोनों गवाहों की सहमति चाहने पर दोनों गवाहों ने सहमति व्यक्त कर अपने-अपने हस्ताक्षर किये। स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री सीताराम पुत्र छोटुलाल जाति धाकड निवासी डोकून थाना देई जिला बून्दी ने आरोपी श्री दयानंद जाखड को बतौर रिश्वत दी जाने वाली राशि भारतीय मुद्रा के 500-500 रूपये के 50 नोट कुल 25,000 रूपये मन् उप अधीक्षक पुलिस के समक्ष पेश किये। नोटो के नम्बर इस प्रकार है - क्र.स. नोट का विवरण नोट का नम्बर 1 एक नोट पांच सौ रूपये 6KL 641769 2 एक नोट पांच सौ रूपये 2PG 547311 3 एक नोट पांच सौ रूपये 8NC 838153 4 एक नोट पांच सौ रूपये 5NB 127018 5 एक नोट पांच सौ रूपये 9GV 356124 6 एक नोट पांच सौ रूपये 3BW 091224 7 एक नोट पांच सौ रूपये 1EG 004386 8 एक नोट पांच सौ रूपये 8AF 279175 9 एक नोट पांच सौ रूपये 5NT 365122 10 एक नोट पांच सौ रूपये 7BW 681639 11 एक नोट पांच सौ रूपये 8EH 291046 12 एक नोट पांच सौ रूपये 7AK 035110 13 एक नोट पांच सौ रूपये 8DN 963758 14 एक नोट पांच सौ रूपये 1AR 204444 15 एक नोट पांच सौ रूपये 8TR 938977 16 एक नोट पांच सौ रूपये 7BM 903982 17 एक नोट पांच सौ रूपये 4RB 451000 18 एक नोट पांच सौ रूपये 6UA 325417 19 एक नोट पांच सौ रूपये 4RC 682362 20 एक नोट पांच सौ रूपये 3MW 337223 21 एक नोट पांच सौ रूपये 8MQ 609372 22 एक नोट पांच सौ रूपये 8DD 424660 23 एक नोट पांच सौ रूपये 5AF 832558 24 एक नोट पांच सौ रूपये 2KT 813831 25 एक नोट पांच सौ रूपये 9AT 810398 26 एक नोट पांच सौ रूपये 3FN 133128 27 एक नोट पांच सौ रूपये 4HN 938846 28 एक नोट पांच सौ रूपये 4CV 607090 29 एक नोट पांच सौ रूपये 8MW 086676 30 एक नोट पांच सौ रूपये 2TR 819602 31 एक नोट पांच सौ रूपये 0SP 121980 32 एक नोट पांच सौ रूपये 1AG 351028 33 एक नोट पांच सौ रूपये 0CP 044689 34 एक नोट पांच सौ रूपये 6HR 634059 35 एक नोट पांच सौ रूपये 9LC 471845 36 एक नोट पांच सौ रूपये 7VA 184517 37 एक नोट पांच सौ रूपये 2DS 914231 38 एक नोट पांच सौ रूपये 4RD 292255 39 एक नोट पांच सौ रूपये 2DG 204746 40 एक नोट पांच सौ रूपये 7DS 711088 41 एक नोट पांच सौ रूपये 5GA 710147 42 एक नोट पांच सौ रूपये 4NL 599042 43 एक

नोट पांच सौ रूपये 8NR 930931 44 एक नोट पांच सौ रूपये 9BL 763223 45 एक नोट पांच सौ रूपये 8HL 067438 46 एक नोट पांच सौ रूपये 8AW 970915 47 एक नोट पांच सौ रूपये 7WH 454126 48 एक नोट पांच सौ रूपये 3DW 985934 49 एक नोट पांच सौ रूपये 7RH 904697 50 एक नोट पांच सौ रूपये 5DA 056639 उक्त नोटों के नम्बर मन् उप अधीक्षक एवं गवाहान के द्वारा पुनः चैक किये गये तो नोटो के नम्बर उपरोक्तानुसार ही पाये गये। श्री ईस्माईल अंसारी सउनि से कार्यालय के मालखाना से फिनोफ्थलीन पावडर की शीशी निकलवाई गई तथा मन् उप अधीक्षक के चेम्बर की टेबल पर एक अखबार बिछवाया जाकर उस अखबार पर उक्त नोटों को रखकर सभी नोटो पर श्री ईस्माईल अंसारी सउनि से अच्छी तरह से फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया। परिवादी श्री सीताराम नागर की जामा तलाशी गवाह श्री सुधांशु से लिवाई गई। परिवादी के पास उसके मोबाईल फोन के अतिरिक्त अन्य कोई दस्तावेज/राशि/वस्तु नही रहने दी गई। तत्पश्चात परिवादी श्री सीताराम के पहनी हुयी पेन्ट की साईड की बायीं जेब में उक्त फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त नम्बरी नोटो को श्री ईस्माईल अंसारी सउनि से रखवाये गये। तत्पश्चात एक कांच के गिलास में साफ पानी मंगवाया जाकर उसमे सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार करवाया जाकर उक्त घोल में श्री ईस्माईल अंसारी सउनि की फिनोफ्थलीन युक्त दाहिने हाथ की अंगुलियों को डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया, जिस पर परिवादी श्री सीताराम व गवाहान को समझाया गया कि यदि आरोपी अधिकारी उक्त पाउडर लगे नोटो को छुयेगा तो उसके हाथों में फिनोफ्थलीन पाउडर लग जायेगा और इसी प्रकार तैयार किये गये घोल में उसके हाथ धुलवाने पर घोल का रंग गुलाबी या हल्का गुलाबी हो जायेगा, जिससे यह साबित होगा कि उसने रिश्वत राशि को प्राप्त किया है। इसके बाद उक्त गिलास के गुलाबी घोल को बाहर फिकवाया गया। श्री ईस्माईल अंसारी सउनि से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी वापस मालखाना में रखवाई गई तथा जिस अखबार पर रखकर नोटो पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया था उस अखबार को जलवाया जाकर नश्ट करवाया गया। श्री ईस्माईल अंसारी सउनि के दोनों हाथों को साबुन व साफ पानी से धुलवाये गये। इसके बाद मन् उप अधीक्षक, परिवादी, गवाहान के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये तथा ट्रेप बॉक्स में रखी खाली शीशीया, ढक्क्न, कांच के गिलास व चम्मच आदि को साबुन व साफ पानी से धुलवाया गया। परिवादी को छोडकर सभी की आपस में जामा तलाशी लिवाई जाकर किसी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नही रहने दी गई। परिवादी श्री सीताराम को रिश्वत लेन देन के समय होने वाली वार्ता को रिकार्ड करने हेतु सरकारी डिजिटल वॉईस रिकार्डर को चलाने व बन्द करने की विधि पुनः समझाया गया। परिवादी श्री सीताराम को समझाइश की गई कि आरोपी अधिकारी द्वारा रिश्वत लेने के बाद स्वयं के मोबाईल नम्बर से मन् उप अधीक्षक के मोबाईल नम्बर पर मिसकॉल करें अथवा अपने सिर पर हाथ फेरकर टीम सदस्यों की ओर इशारा करें। गवाहान को हिदायत दी गई कि वे यथासम्भव परिवादी के आसपास रहकर परिवादी व आरोपी के मध्य होने वाली वार्तालाप को सुनने व रिश्वत के लेन देन को देखने का प्रयास करें। परिवादी ने ट्रेप कार्यवाही दिनांक 23.10.2024 को प्रस्तावित होना बताया हैं। अतः रिश्वत राशि स्वतंत्र गवाह सुधांशु उपाध्याय से निकलवाकर जरिये मालखाना इन्चार्ज मालखाने मे सुरक्षित रखी गयी। परिवादी सीताराम एंव दोनों स्वतंत्र गवाह को बाद हिदायत कार्यालय से रूकसत किया गया। दिनांक 23.10.2024 को पाबन्दशुदा दोनों स्वतंत्र गवाह उपस्थित कार्यालय आये। जिनको कार्यालय मे मुकीम रहने के निर्देश दिये। परिवादीगण से जरिये मोबाईल सम्पर्क करने पर परिवादी ने बताया कि मैं एवं भंवरलाल दोनों गुढा सदावर्तिया गांव के पास हनुमान जी के मंदिर के पास मिल जायेंगे। आज आरोपी ग्राम पंचायत में उपस्थित रहेगा। परिवादी से हुई वार्तानुसार ट्रेप कार्यवाही दिनांक 23.10.2024 को होना संभावित होने से मालखाना से ट्रेप राशि 25,000 रूपये लिफाफे सहित ट्रेप बॉक्स में रखवायी गयी एंव मन पुलिस उप अधीक्षक मय जाप्ता श्री रामसिंह कानि0, मनोज कानि0, देवेन्द्रसिंह हैड कानि0, श्रीमति टिंकू कवंर महिला कानि0 एंव चालक श्री प्रेमप्रकाश कानि0 के सरकारी वाहन बोलेरो से मय लेपटॉप, प्रिंटर, ट्रेप बॉक्स, डीवीआर एंव कार्यवाही में प्रयुक्त होने वाली अन्य सामग्री के ग्राम गुढा सदावर्तिया रवाना हुआ एंव दूसरे वाहन में श्री ज्ञानचंद उप अधीक्षक पुलिस मय स्वतंत्र गवाह श्री सुधांशु उपाध्याय, राकेश मीणा एंव महिला कानि0 श्रीमति हेमेन्द्रा भी रवाना हुये। मन् पुलिस उप अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान, एसीबी जाप्ते के सरकारी वाहन बोलेरो व प्राइवेट वाहन के गांव गुढा सदावर्तिया में हनुमान जी के मंदिर के पास पहुचें, जहां परिवादी सीताराम व सहपरिवादी भंवर लाल उपस्थित मिले। जिन्होनें मन पुलिस उप अधीक्षक को अवगत कराया कि अभी कुछ समय पहले आरोपी दयानंद जाखड ग्राम विकास अधिकारी से फोन पर वार्ता हुई है जिसमें ग्राम विकास अधिकारी ने अति आवश्यक मीटिंग में जिला मुख्यालय बून्दी में जाना बताया हैं एवं वह कल दिनांक 24.10.2024 को ही ग्राम पंचायत में मौजुद रहेगा। उक्त वार्ता के पश्चात परिवादीगण को गोपनीयता रखने की हिदायत दी गई एंव दिनांक 24.10.2024 को इसी स्थान पर मौजुद मिलने के निर्देश दिये गये। मन पुलिस उप अधीक्षक मय जाप्ता श्री रामसिंह कानि0, मनोज कानि0, देवेन्द्रसिंह हैड कानि0, श्रीमति टिंकू कवंर महिला कानि0 एंव चालक श्री प्रेमप्रकाश कानि0 के सरकारी वाहन बोलेरो से मय लेपटॉप, प्रिंटर, ट्रेप बॉक्स, डीवीआर एंव कार्यवाही में प्रयुक्त होने वाली अन्य सामग्री के एंव दूसरे वाहन में श्री ज्ञानचंद उप अधीक्षक पुलिस मय स्वतंत्र गवाह श्री सुधांशु उपाध्याय, राकेश मीणा एंव महिला कानि0 श्रीमति हेमेन्द्रा के ग्राम गुढा सदावर्तिया से रवाना होकर एसीबी चौकी बून्दी आये, ट्रेप राशि के लिफाफे को सुरिक्षत मालखाने मे रखवाया गया। स्वतंत्र गवाहान को बाद हिदायत रूखस्त किया गया। दिनांक 06.11.2024 को परिवादी श्री सीताराम उपस्थित कार्यालय आया। परिवादी ने बताया कि

दयानन्द जाखड ग्राम विकास अधिकारी का स्वास्थ्य खराब होने से अवकाश पर चला गया है तथा दयानन्द जाखड कार्यालय में भी उपस्थित नही आ रहा है। दयानन्द जाखड ने दीपावली के पश्चात मेरे व मेरे साथी भंवरलाल से रिश्वत के सम्बन्ध में किसी प्रकार की बातचीत नही की है। परिवादी को दयानन्द जाखड से अतिशीघ्र सम्पर्क कर रिश्वत राशि प्राप्त करने के सम्बन्ध में समझाईश कर गोपनीयता रखने की हिदायत देकर कार्यालय से रूखस्त किया गया। दिनांक 19.11.2024 को परिवादी श्री सीताराम व सह परिवादी श्री भंवर लाल भ्रश्टाचार निरोधक ब्यूरों चौकी बून्दी उपस्थित आयें तथा परिवादी श्री सीताराम द्वारा एक लिखित प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि मेरे द्वारा दिनांक 22.10.2024 को श्री दयानन्द जाखड ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत गुढा सदावर्तिया पंचायत समिति नैनवां जिला बून्दी के विरूद्व 25 हजार रूपये रिश्वत मांगने के सम्बन्ध में एक शिकायत प्रस्तुत की थी। शिकायत का उसी दिन सत्यापन भी करवाया गया था तथा दिनांक 23.10.2024 को दयानन्द जाखड के विरूद् ट्रेप कार्यवाही प्रस्तावित की गई थी। परन्तु उस दिन दयानन्द जाखड ग्राम विकास अधिकारी मीटिंग में जाने के कारण ट्रेप कार्यवाही पूर्ण नही हो सकी एवं बाद में दयानन्द जाखड के बीमार हो जाने एवं लम्बे अवकाश पर चले जाने के कारण ट्रेप कार्यवाही नही हो सकी। दीपावली के पश्चात ग्राम विकास अधिकारी ने मेरे व मेरे साथी भंवरलाल से रिश्वत के सम्बन्ध में किसी प्रकार की बातचीत नही की है एवं हमें ऐसा लगता है कि उसको हमारे खिलाफ एसीबी शिकायत प्रस्तुत करने की शंका हो गई है। अतः हमें 25 हजार रूपयें वापस लोटाकर अग्रिम कार्यवाही करने का श्रम करें। परिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का मन उप पुलिस अधीक्षक द्वारा अवलोकन किया गया, परिवादी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र स्वयं द्वारा हस्तलिखित होना बताया। प्रार्थना पत्र को शामिल कार्यवाही किया गया। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं पूछताछ के आधार पर आरोपी श्री दयानन्द जाखड ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत गुढा सतावर्तिया पंचायत समिति नैनवां जिला बून्दी के विरूद् रिश्वत प्राप्त करते हुये ट्रेप कार्यवाही होना सम्भव नही होने से अग्रिम कार्यवाही हेतु कार्यवाही में पाबन्दशुदा गवाह श्री सुधांशु उपाध्याय एवं श्री राकेश मीणा को जर्ये टेलिफोन कार्यालय में तलब किया गया एवं परिवादीगण को कार्यालय में मुकीम रहने की हिदायत दी गई। इसके बाद पाबन्दशुदा दोनो स्वतंत्र गवाह श्री सुधांशु उपाध्याय एवं श्री राकेश मीणा उपस्थित कार्यालय आये। गवाहान को परिवादीगण द्वारा दिनांक 19.11.2024 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पढकर सुनाया तथा गवाहान प्रार्थना पत्र पर अपने अपने हस्ताक्षर कियें। तत्पश्चात सहपरिवादी श्री भंवर लाल तथा आरोपी दयानन्द जाखड के मध्य दिनांक 22.10.2024 को हुई रिश्वत मांग वार्ता जो डिजिटल वाईस रिकार्डर के मैमोरी कार्ड में रिकार्डशुदा है। उक्त वार्ता को परिवादीगण व स्वतंत्र गवाहान की मौजूदगी में कार्यालय के सरकारी लेपटॉप के जरिये सुना गया एवं रिकार्डशुदा वार्ता की पहचान परिवादी सीताराम व सहपरिवादी श्री भंवरलाल से करवाई गई तो वार्ता को सुनकर सहपरिवादी भंवरलाल ने एक आवाज स्वंय की तथा दूसरी आवाज आरोपी दयानन्द जाखड की होना पहचान किया। स्वतंत्र गवाहान के समक्ष वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट मेरे निर्देशन में श्रीमती हेमेन्द्रा महिला कानि 416 से तैयार करवाई जाकर सम्बधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गयी। सह परिवादी श्री भंवर लाल तथा आरोपी दयानन्द जाखड के मध्य दिनांक 22.10.24 को हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता जो मैमोरी कार्ड में रिकार्ड है उक्त वार्ता को सह परिवादी भंवर लाल द्वारा ए0सी0बी0 बून्दी के डिजिटल वाईस रिकार्डर के मैमोरी कार्ड में रिकार्ड किया गया था। उक्त वार्ता जो मूल मैमारी कार्ड में रिकार्ड है। श्रीमती हेमेन्द्रा महिला कानि. 416 से मेरे निर्देशन में सरकारी लेपटॉप की मदद से मूल मैंमोरी कार्ड में रिकार्ड वार्ता को 03 पेन ड्राईव कार्ड में पृथक-पृथक क्लोन (ब्वचल) किया गया। जिसमें से मूल मैमोरी कार्ड व एक पेन ड्राईव न्यायालय के लिए पृथक पृथक कपडे की थेली में रखकर सील मोहर किया गया तथा एक क्लोनिंग पेन ड्राईव आरोपी के लिए कपडे की थेली में रखकर सील मोहर किया गया एवं एक पेन ड्राईव को अनुसंधान अधिकारी के लिए बिना सील किये कागज लिफाफे में रखा गया। फर्द जप्ती व क्लोनिंग पेन ड्राईव मूर्तिब कर शामिल कार्यवाही की गई। श्री देवेन्द्र सिहं हैड कानि 106 प्रभारी मालखाना से कार्यवाही में फिनोक्थलीन पाउडरयुक्त पांच-पांच सौ रूपयें के 50 नोट कुल 25 हजार रूपयें निकलवायें जाकर, नोटों पर लगे फिनोक्थलीन पाउडर को कपडे से अच्छे तरीके से साफ करवाकर दोनो स्वतंत्र गवाह श्री सुधांशु उपाध्याय खनि अभियंता खण्ड प्रथम, खान एंव भू विज्ञान विभाग बून्दी एवं श्री राकेश मीणा वरिष्ठ सहायक कार्यालय खनि अभियंता खण्ड प्रथम, खान एंव भू विज्ञान विभाग बून्दी के समक्ष परिवादी श्री सीताराम पुत्र छोटुलाल जाति धाकड निवासी डोकून थाना देई जिला बून्दी को सुपुर्द किये गयें। फर्द सुपुर्दगी नोट राशि 25 हजार रूपयें मूर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। बाद कार्यवाही के परिवादी श्री सीताराम, सह परिवादी श्री भंवर लाल एवं दोनो स्वतंत्र गवाह को बाद कार्यवाही रूखस्त किया गया। अब तक की कार्यवाही से पाया गया कि दिनांक 22.10.2024 समय 08.07 ए.एम पर परिवादी श्री सीताराम पुत्र छोटुलाल जाति धाकड निवासी डोकून थाना देई जिला बून्दी द्वारा चौकी हाजा पर जरिये टेलिफोन सम्पर्क कर सूचना दी कि मैं धाकड कन्सट्रक्शन फर्म के नाम से पचांयत समिति नैंनवा जिला बून्दी मे ठेकेदारी का काम करता हूं, मेरी फर्म द्वारा ग्राम पंचायत गुढा सदावर्तिया पचांयत समिति नैंनवा जिला बून्दी मे पिछले दो वर्शो में करीब 20-22 लाख रूपये का कार्य करवाया गया है। उक्त कार्य के बिलों के भुगतान की एवज में ग्राम विकास अधिकारी दयानंद जाखड रिश्वत की मांग कर रहा हैं, मै अभी बून्दी आकर शिकायत पेश करने मे असमर्थ हूं। कृपया कार्यवाही करें। उपरोक्त सूचना पर कानि0 रामसिंह को परिवादी सीताराम से सम्पर्क कर रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाने हेतु गांव गुढा सदावर्तिया रवाना किया था। जहाँ पर परिवादी सीताराम एंव उसका साथी भंवरलाल उपस्थित

मिलने पर परिवादी सीताराम द्वारा ग्राम पंचायत गुढा सदावर्तिया मे कराये गये निर्माण एंव अन्य कार्यो के बिलों के भुगतान की एवज में ग्राम पंचायत गुढा सदावर्तिया के ग्राम विकास अधिकारी दयानंद जाखड के द्वारा रिश्वत मांगने के संबंध में शिकायत प्रार्थना पत्र पेश किया तथा मौखिक रूप से अवगत कराया कि ग्राम विकास अधिकारी दयानंद जाखड से मेरी आपसी कहासुनी हो गयी है इसलिये वह मेरे से सीधी रिश्वत की मांग नही करके मेरे साथी एंव ग्राम पंचायत के सरपंच भंवरलाल पुत्र श्री कल्याण जाति मीणा उम्र 32 साल निवासी गांव गुढा सदावर्तियास थाना देई जिला बून्दी हाल सरपंच ग्राम पंचायत गुढा सदावर्तिया से रिश्वत की बातचीत करता है। उपरोक्त मौखिक व लिखित शिकायत में अंकित तथ्यों से मामला भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 की परिधी में आना पाया जाने पर दिनांक 22.10.2024 को रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया गया तो आरोपी दयानन्द जाखड ग्राम विकास अधिकारी द्वारा सह परिवादी भंवरलाल से परिवादी सीताराम द्वारा ग्राम पंचायत गुढा सदावर्तिया मे कराये गये निर्माण एंव अन्य कार्यो के बिलों के भुगतान की एवज में 25,000/-रूपये रिश्वत मांग करने की पुष्टि हुई। रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 22.10.2024 की फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार की गई। ट्रेप कार्यवाही से आरोपी श्री दयानन्द जाखड ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत गुढा सदावर्तिया पंचायत समिति नैनवां जिला बून्दी के विरूद्ध परिवादी से ग्राम पंचायत गुढा सदावर्तिया मे कराये गये निर्माण एंव अन्य कार्यो के बिलों के भुगतान की एवज में 25,000/-रूपये रिश्वत की मांग करना प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया गया है। सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही से आरोपी श्री दयानंद जाखड पुत्र श्री रामचन्द्र जाखड जाति जाट उम्र 32 साल निवासी ग्राम चौहानो की ढाणी, पोस्ट अडुका तहसील सुरजगढ, जिला झुंझुनु हाल ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत गुढासदावर्तीया पंचायत समिति नैंनवा जिला बून्दी के विरूद्ध जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधन 2018) का अपराध प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया गया है। सम्पूर्ण कार्यवाही की बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट, पंजीयन हेतु श्रीमान महानिदेशक भ्रनिब्यूरो जयपुर की सेवामें सादर प्रेषित है। भवदीय (हरीश भारती) उप पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बून्दी..........कार्यवाही पुलिस......... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री हरीश भारती, उप पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बून्दी ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अर्न्तगत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधन वर्ष 2018) में आरोपी श्री दयानंद जाखड पुत्र श्री रामचन्द्र जाखड जाति जाट उम्र 32 साल निवासी ग्राम चौहानो की ढाणी, पोस्ट अडुका तहसील सुरजगढ, जिला झुंझुनु हाल ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत गुढासदावर्तीया पंचायत समिति नैंनवा जिला बून्दी के विरूद्ध पंजिबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियॉं नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्रीमती अनिता वर्मा, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.यू., कोटा को मनोनीत किया गया है उक्त की रोजनामचा आम रिपोर्ट 343 पर अंकित है।(कालूराम रावत) उप महानिरीक्षक पुलिस-प्रथम, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1720-23 दिनांक 27-12-2024 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित हैः–1-विशिष्ट न्यायधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, कोटा। 2-मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद बून्दी। 3-उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा । 4- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बून्दी । उप महानिरीक्षक पुलिस-प्रथम, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** ANITA VERMA **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Kalu Ram Rawat
Location: Rajasthan,IN
Date: 27/12/2024 17:2

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): KALU RAM RAWAT
Rank (पद): Dy. IG (Deputy Inspector General)
No(सं.):

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	08/02/1982				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)